भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1300
11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालन के हितधारक

+1300. श्रीमती बिजुली कलिता मेधी :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 3863 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंशदान के साथ परियोजनाओं के लिए कुल बजट 50 करोड़ रुपये है, विभिन्न पहलों के लिए निधियों का संवितरण किस प्रकार किया जाएगा;
(ख) इस पहल के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं;
(ग) क्या मत्स्यपालन मूल्य श्रृंखला में मछुआरों और अन्य हितधारकों को कुशल बनाने के लिए इन परियोजनाओं से संबंधित कोई विशिष्ट प्रशिक्षण या कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत (सस्टेनेबल) और जिम्मेदार विकास और मछुआरों के कल्याण के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए एक प्रमुख योजना 'प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पीएमएमएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है । मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कोई भी मात्स्यिकी विकास प्रस्ताव 38.63 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 50 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय पर कार्यान्वित नहीं किया गया है। पीएमएमएसवाई के उद्यमी मॉडल के अंतर्गत, 5.00 करोड़ रुपए तक की अधिकतम सीमा वाली परियोजना के लिए सामान्य श्रेणी को 1.25 करोड़ रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को 1.50 करोड़ रुपए की सब्सिडी सहायता प्रदान की जाती है।

पीएमएमएसवाई, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मत्स्यन तकनीक, जलीय कृषि और पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों और एक्सपोशर विसिट्स के माध्यम से विभिन्न हितधारकों विशेषकर मछुआरों, मत्स्य किसानों, मत्स्य श्रमिकों, मत्स्य विक्रेताओं, उद्यमियों, अधिकारियों, मात्स्यिकी सहकारी समितियों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के सदस्यों के प्रशिक्षण, कौशल विकास, कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। प्रशिक्षण, जागरूकता, एक्सपोशर विसिट्स और क्षमता निर्माण कार्यक्रम राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), अन्य संगठनों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मात्स्यिकी विभागों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, देश भर में कुल 2,57,743 मछुआरों को मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण मिला है।

*****